न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 1/2017
प्रविष्टि दिनांक 4–1–2017

1. सूरज यादव पुत्र कजोड़ जाति अहीर निवासी ग्राम बिचपुड़ी तह0 व जिला–टोंक
2. बन्ना पुत्र श्री कजोड़ जाति अहीर निवासी ग्राम बिचपुड़ी तहसील व जिला–टोंक

............अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामअवतार पुत्र मूलचन्द जावड़ा जाति खटीक निवासी संघपुरा पुरानी टोंक
2. तहसीलदार टोंक

.... रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद निर्णय तहसीलदार टोंक दिनांक 22–11–2016

उपस्थिति : (1) श्री केलाश अहलूवालिया अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री योगेश व्यास, श्री विवके चोधरी अभिभाषक रेस्पोडेण्ट
(3) श्री जुगनू शर्मा राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 04.01.2021**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 22–11–2016 को अपीलाण्ट्स को प्रकरण सं0 2/2015 अन्तर्गत धारा 183 बी आर0टी0एक्ट के तहत निर्णय पारित कर रेस्पोडेण्ट सं0 1 का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट्स को आराजी खसरा नंबर 423/1रकबा 4 बीघा भूमि में से 2 बीघा 5 किस्वा भूमि पर किये गये कब्जे को बेदखल कर भूमि का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने तथा लगान के 50 गुणा राशि शास्ति के रूप मे दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिये नोटिस की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई तथा प्रकरण में उभयपक्ष की सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स को आराजी खसरा नंबर 423/1रकबा 4 बीघा भूमि में से 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर किये गये कब्जे को बेदखल कर भूमि का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने तथा लगान के 50 गुणा राशि शास्ति के रूप मे दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को [illegible] अवसर नही दिया गया। प्रकरण में दिनांक 23–11–2016 को तारिख पेशी [illegible] हेतु नियत थी किन्तु निर्णय दिनांक 22–11–2016 को ही पारित कर [illegible] न्याय के प्राकृतिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:08:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

सिद्वान्तों के प्रतिकूल है। अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि विवादित भूमि पूर्व में सिवायचक थी जिस पर अपीलान्ट्स के पूर्वजों का लगभग 40–50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि बद्री पुत्र कल्याण बैरवा निवासी चन्दलाई के नाम अलाट हो गई। बद्री बैरवा ने उक्त भूमि दिनांक 25–5–1990 को अपीलान्ट सूरज अहीर को जरिए इक़रारनामा बेचान करदी। बद्री की नीयत में बेईमानी आ जाने व रेस्पोडेण्ट सं0 1 बिना कब्जे वाली भूमियों को खरीदने का आदि होने के कारण उसने बद्री से एक नुमाइशी विकय पत्र अपने नाम करवा कर गलत रूप से पटवारी हल्का से साज कर बिना कब्जे के उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम भरवा लिया। बिना कब्जे के भरा गया नामान्तरकरण प्रभावशून्य व निष्प्रभावी है तथा रेस्पोडेण्ट सं0 1 केवल मात्र नुमाइशी खातेदार होने का फायदा उठाकर अपीलान्ट्स को जबरन बेदखल कराना चाहता है। इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं करके अपना निर्णय पारित किया है जो गलत एंव खिलाफ कानूनन है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार बना कर उक्त निर्णय पारित किया है तहसीलदार द्वारा कब्जे बाबत कोई रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त नहीं की है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि ग्राम चन्दलाई की आराजी खसरा नम्बर 423/1 रकबा 4 बीघा बारानी 3 भूमि का आवेदक एक मात्र खातेदार है ओर उक्त आराजी से अपीलान्ट्स का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु अपीलान्ट्स जो कि सरजोर लड़ाकू, झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है और इन लोगों ने मिलकर रेस्पोडेण्ट्स को कमजोर तथा अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने के कारण लठ्ठ के बल पर भूमि पर कब्जा कर रखा है। अपीलान्ट संख्या में अधिक हैं ओर राजनैतिक पहूँच वाले व्यक्ति हैं रेस्पोडेण्ट भूमि पर काश्त नहीं करने देते ओर लड़ाई झगड़ा कर मारने पर उतारू रहते हें इस कारण रेस्पोडेण्ट्स ने तहसीलदार टोंक के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया था तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय उचित है। अपील अपीलान्टस अस्वीकार की जावे।

पेरोकार सरकार ने अभिभाषक रेस्पोडेण्ट की बहस का समर्थन किया ओर कथन किया कि अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेण्ट की खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रख हैं जिसे हटवाने हेतु तहसीलदार टोंक के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर उक्त निर्णय पारित किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परित निर्णय सही एंव उचित है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप तथ्यहीन व निराधार है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय कि पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23–11–2016 में अंकित है कि भू प्रबन्ध अधिकारी एंव राजस्व अपील अधिकारी टोंक का स्थगन है पत्रावली दिनांक 23–11–2016 को पेश हो। दिनांक 23–11–2016 को तारीख पेशी नियत होने के उपरान्त प्रार्थी रामअवतार के प्रार्थना पत्र पर प्रकरण की सुनवाई 8–11–16 को की गई जिसमें तलबी हेतु नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये जाकर पत्रावली 16–11–16 को पेश हो अंकित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 16–11–16 की आदेशिका में 18–11–16 तारीख पेशी अंकित [illegible]। दिनांक 18–11–16 को अप्रार्थीगण को अनुपस्थित बताते हुए आदेश में [illegible]–16 अंकित की गई, दिनांक 22–11–16 को निर्णय पारित कर [illegible] कि [illegible] अपीलान्ट्स को

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:08:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

सुने बिना एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स को जारी नोटिसों पर विधिवत तामील नहीं करवाई गई है। यदि अपीलान्ट्स घर पर मोजूद नहीं मिल रहे थे ओर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट में नोटिस अदम तामील थे तो नियमानुसार आदेशिका में तामील चस्पान्दगी से करवाने का नोट अंकित कर तामील करवानी चाहिये थी किन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलान्ट्स को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नही दिया गया है। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार टोंक द्वारा पारित निर्णय को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22–11–2016 अपास्त किया जाकर तहसीलदार टोंक को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि मौके की स्थिति व साक्ष्यो को ध्यान मे रखते हुये तथा अपीलांण्ट्स से पर्याप्त साक्ष्य ग्रहण कर सुनवाई का अवसर प्रदत्त रिकार्ड का परिक्षण व जांच कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 4–1–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:08:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner